Uttar Pradesh Home Guards Act 1963

Arrangement of Sections

Preamble

Sections

1. Short title, extent and commencement
2. Definitions
3. Constitution of Home Guards
4. Functions
5. Appointment of Commandant-General and other officers
6. Superintendence and administration of Home Guards
7. Enrolment etc
8. Calling out of Home Guards
9. Powers, privileges and protection of Home Guards
10. Home Guards to be public servants but not civil servants
11. Liability for service
12. Discharge, suspension and resignation
13. Penalties
14. Obligation of employer to permit Home Guards to join duty
15. Power to make rules and regulations

उत्तर प्रदेश होम-गार्ड्स अधिनियम, 1963

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29, 1963 ई0)

THE UTTAR PRADESH HOME GUARDS ADHINIYAM, 1963

(U.P. Act No. XXIX of 1963)

THE UTTAR PRADESH HOME GUARDS ADHINIYAM, 1963[1]

[U. P. ACT NO. XXIX of 1963]

Amended by

U. P. Act no. 4 of 1972

[Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Council on September 24, 1963 and by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on December 18, 1963 with the amendments and again passed by the Uttar Pradesh Legislative Council on December 23, 1963 with the amendments made by the Legislative Assembly.

Received the assent of the Governor on December 30, 1963 under Article 200 of the Constitution of India and was published in the Uttar Pradesh Gazette Extraordinary, dated December 31, 1963.]

AN

ACT

to provide for the constitution of the Home Guards in Uttar Pradesh.

Preamble

WHEREAS it is expedient to provide for the constitution of a force known as the Uttar Pradesh Home Guards for utilizing its services for duties in times of emergency and serving as an auxiliary to the police for the maintenance of law and order.

It is hereby enacted in the Fourteenth Year of the Republic of India as follows : —

Short title, extent and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Home Guards Adhiniyam, 1963.

(2) It shall extend to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall come into force at once.

Definitions

2. In this Act unless there is anything repugnant in the subject or context —

[2][(a) "District Commandant" means the Officer Commanding the Home Guards in a district ;]

(b) "duty" or "service" as home guard shall include the undergoing of training as such ;

(c) "employer" means an employer in relation to private service, and includes his authorized agent or manager and in the case of a corporation, firm or other association of individuals, includes its director, partner, manager, secretary or other persons in charge of or responsible to it for the conduct of its business at any given time ;

(d) "essential services" means motor transport, pioneer and engineering corps, fire brigades, nursing, first-aid, operation of water

1. For Statement of Objects and Reasons see *Uttar Pradesh Gazette Extraordinary*, dated September 9, 1963.
2. *Subs.* by *sec.* 2(1) of U.P. Act No. IV of 1972.

उत्तर प्रदेश होम–गार्ड्स अधिनियम, 1963[1]

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29, 1963 ई०]

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 4, 1972

द्वारा संशोधित

[उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने दिनांक 24 सितम्बर, 1963 ई0, उत्तर प्रदेश विधान सभा ने संशोधन सहित दिनांक 18 दिसम्बर, 1963 ई0 तथा पुनः उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा किये गये संशोधनों सहित दिनांक 23 दिसम्बर, 1963 ई0 की बैठक में स्वीकृत किया ।

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 30 दिसम्बर, 1963 ई0 को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 31 दिसम्बर, 1963 ई0 को प्रकाशित हुआ ।]

उत्तर प्रदेश मे होम–गार्ड्स के संघटन की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

प्रस्तावना

यह इष्टकर है कि उत्तर प्रदेश होम–गार्डस के नाम से एक दल के संघटन की व्यवस्था की जाय जिसकी सेवाओं का उपयोग आपातकाल में विभिन्न कर्तव्यों के लिये किया जा सके और जो शान्ति और सुव्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस दल के सहायक के रूप में भी काम कर सके

अतएव्, भारतीय गणतंत्र के चौदहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश होम–गार्ड्स अधिनियम, 1963 कहलायेगा ।

(2) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

(3) यह तुरन्त प्रचलित होगा ।

परिभाषाएं

2–विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में :–

[2] [(क) "जिला कमान्डेन्ट" का तात्पर्य किसी जिले में होम–गार्डस के समादेशाधिकारी से है ;]

(ख) होम–गार्ड के रूप में "कर्तव्य" या "सेवा" के अन्तर्गत इस रूप में प्रशिक्षण लेना भी है ;

(ग) असार्वजनिक सेवा के सम्बन्ध में "सेवायोजक" का तात्पर्य नियोजक से है, और इसके अन्तर्गत उसका अधिकृत एजेन्ट या प्रबंधक भी है, और निगम, फर्म या व्यक्यिों के अन्य संघ की दशा में, इसके अन्तर्गत उसका निदेशक, भागीदार, प्रबन्धक सचिव या अन्य व्यक्ति भी है जो किसी निर्दिष्ट समय में उसके कारोबार के संचालन के लिए प्रभारी हो या उसके प्रति उत्तरदायी हो ;

(घ) "अत्यावश्यक सेवाओं" का तात्पर्य मोटर परिवहन, अग्रगामी एवं अभियंत्रण दल, अग्निशामक दल, उपचार, प्राथमिक चिकित्सा, जल एवं विद्युत् सम्भरण अधिष्ठान का

---

1. उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए दिनांक 9 सितम्बर, 1963 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिए ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 4, 1972 ई0 की धारा 2 (1) द्वारा रखे गए ।

and power supply installations and such other services as may be notified by the State Government as being essential to the life of the community ;

(e) "home guard" means a person who is enrolled as such and includes an officer appointed under this Act ;

Act IV of 1861

(f) "police" shall have the same meaning as assigned to the word in the Police Act, 1861 ;

(g) "prescribed" means prescribed by rules framed under this Act;

(h) "private service" means any service other than service under the State ;

(i) [1][* * * *]

(j) "service under the State" means service under the State as defined in Article 12 of the Constitution of India and includes service under any statutory corporation ;

(k) "State Government" means the Government of Uttar Pradesh; and

(l) [1][* * *]

Constitution of Home Guards

3. There shall be raised and maintained a volunteer force to be designated the Uttar Pradesh Home Guards, hereinafter called the Home Guards and it shall be constituted in the manner prescribed.

Functions

4. The Home Guards will have the following functions ;

(a) they will serve as auxiliary to the police, and when required help in maintaining public order and internal security ;

(b) they will help the community in are raids, fires, floods, epidemics and other emergencies ;

(c) they will function as an emergency force for such special tasks as may be prescribed ;

(d) they will provide functional units for essential services ; and

(e) they will perform such other duties relating to a measure of public welfare as may be prescribed.

Appointment of Commandant-General and other officers

5. The State Government shall appoint a Commandant-General of Home Guards, hereinafter called the Commandant-General, and other officers on such terms and conditions as may be prescribed.

Superintendence and administration of Home Guards

6. (1) The superintendence of the Home Guards shall vest in and be exercised by the State Government.

(2) The Administration of the Home Guards throughout the State shall vest in and be exercised by the Commandant-General

1. *Del.* by *sec.* 2 (ii) of U. P. Act no. 4 of 1972 ;

परिचालन और ऐसी अन्य सेवाओं से है, जो राज्य सरकार द्वारा सामुदायिक जीवन के लिए अत्यावश्यक विज्ञापित की जायें ;

(ङ) "होम–गार्ड" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो इस रूप मे भर्ती किया गया हो और इसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन नियुक्त अधिकारी भी है ;

(च) "पुलिस" का वही तात्पर्य होगा जो पुलिस ऐक्ट, 1861 में शब्द "Police" के लिए दिया गया हो ; **ऐक्ट संख्या 4, 1861**

(छ) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियत से है ;

(ज) "असार्वजनिक सेवा" का तात्पर्य राज्य के अधीन सेवा से भिन्न किसी सेवा से है ;

(झ) [1][* * *]

(ञ) ''राज्य के अधीन सेवा'' का तात्पर्य 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 12 से यथापरिभाषित 'राज्य' के अधीन सेवा से है और इसके अन्तर्गत परिनियत निगमों के अधीन सेवा भी है ;

(ट) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है ।

(ठ) [1][* * *]

होमगार्ड्स का संघटन

3–उत्तर प्रदेश होम–गार्ड्स नाम से, जिसे आगे "होम–गार्ड्स" कहा गया है, एक स्वयं सेवक दल का निर्माण और अनरक्षण किया जायगा और ऐसी रीति से संघटित किया जायगा जो नियत की जाय ।

कृत्य

4–होम–गार्ड्स के निम्नलिखित कृत्य होंगे : ––

(क) वे पुलिस दल के सहायक के रूप में काम करेंगे ओर अपेक्षा किये जाने पर सार्वजनिक व्यवस्था तथा आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने में सहायता करेंगे ;

(ख) वे हवाई हमलों, आग लगने, बाढ़ आने, महामारी फैलने और अन्य आपातों के समय लोक–समाज की सहायता करेंगे ;

(ग) वे ऐसे विशिष्ट कार्यो के लिए, जो नियत किये जायें, आपातकालीन दल के रूप में कार्य करेंगे ;

(घ) वे अत्यावश्यक सेवाओं के लिए कार्यात्मक इकाइयों की व्यवस्था करेंगे ; और

(ङ) वे लोक–कल्याण के किसी कार्य से सम्बद्ध ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करेंगे जो नियत किये जायें ।

कमान्डेन्ट जनरल और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति

5–राज्य सरकार, होम–गार्ड से के कमान्डेन्ट जनरल, जिसे आगे "कमानडेन्ट जनरल" कहा गया है, और अन्य अधिकारियों को ऐसी शर्तो पर नियुक्त करेगी जो नियत की जायें ।

होम–गार्ड्स का अधीक्षण और प्रशासन

6–(1) होम–गार्ड्स का अधीक्षण राज्य सरकार में निहित होगा ।

(2) संपूर्ण राज्य में होम–गार्ड्स का प्रशासन कमान्डेन्ट जनरल में निहित होगा, सिवाय किसी ऐसे स्थानीय क्षेत्र के सम्बन्ध में जिसे राज्य सरकार एतदर्थ विज्ञप्ति द्वारा

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 4, 1972 ई0 की धारा 2 (2) द्वारा निकाले गए ।

except in relation to any local area that may be excluded by notification by the State Government in this behalf ; and any officer appointed to administer the Home Guards of any local area so excluded shall exercise in relation to that area the like powers as the Commandant-General exercises in the rest of the State.

[1][(3) Subject to the general control and direction of the District Magistrate, the administration of the Home Guards in a district shall vest in and be exercised by the District Commandant.]

Enrolment etc.

7. (1) Subject to such conditions as may be prescribed, any person desiring to be enrolled as home guard shall make an application in the prescribed, form. If such applicant is in private service he shall make such application through his employer, or if in service under the State, through the authority competent to grant him permission to join the force.

(2) A home guard shall be formally enrolled and on enrolment make a declaration in the form set out in the First Schedule and receive a certificate of appointment in the form set out in the Second Schedule under the seal and signature of such officer as may be prescribed, by virtue of which he shall be vested with the powers and privileges and be subject to the duties of a home guard.

(3) Officer and other members of the Home Guards shall wear such uniforms as may be prescribed.

Calling out of Home Guards

8. Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder —

(a) [2][the District Magistrate or the District Commandant] may by order call out any home guard attached to a unit posted in the district for duty in any area within that district ;

(b) the Commandant-General or such officer of the Home Guards as may be authorized by him in this behalf may call out any home guard for duty in any part of the State or outside the State.

Powers, privileges and protection of Home Guards

9. (1) Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, a home guard when called out under section 8 to serve as auxiliary to the police or to help in maintaining public order or internal security shall have the same powers, privileges and protection as a member of the police force appointed under any enactment for the time being in force, and shall subject to such adaptations and modifications, as may be made therein by the State Government by notification in the Gazette, be subject to the provisions of the Police Act, 1861, and the rules or regulations made thereunder in the same manner and to the same extent as he would, if such home guard held a corresponding rank in the police force to the one he holds for the time being in the Home Guards.

Act V of 1861

1. *Subs.* by *sec.* 3 of U.P. Act No. 4 of 1972.

2. *Subs.* by *sec.* 4 of U. P. Act no. 4 of 1972.

अपवर्जित कर दे, और इस प्रकार अपवर्जित किसी स्थानीय क्षेत्र के होमगार्ड्स का प्रशासन करने के लिए नियुक्त कोई अधिकारी उस क्षेत्र के सम्बन्ध में उसी प्रकार के अधिकारों का प्रयोग करेगा जिनका कमान्डेन्ट जनरल राज्य के शेष भाग में करे।

[1][(3) जिला मजिस्ट्रेट के सामान्य नियंत्रण तथा निदेश के अधीन रहते हुए, किसी जिले में होम–गार्डस का प्रशासन जिला कमान्डेन्ट में निहित होगा और उसके द्वारा किया जायेगा।]

भर्ती आदि

7–(1) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो नियत की जायें, कोई व्यक्ति जो होमगार्ड के रूप में भर्ती होने का इच्छुक हो, नियत प्रपत्र मे प्रार्थना–पत्र देगा । यदि ऐसा प्रार्थी असार्वजनिक सेवा में हो तो वह उक्त प्रार्थना–पत्र अपने सेवायोजक के माध्यम से या यदि वह राज्य के अधीन सेवा मे हो तो, उस प्राधिकारी के माध्यम से देगा जो उसे दल में सम्मिलित होने की अनुमति देने के लिए सक्षम हो ।

(2) होम–गार्ड को औपचारिक रूप से भर्ती किया जायगा और भर्ती हो जाने पर वह प्रथम अनुसूची मे दिये गये प्रपत्र मे घोषणा करेगा और द्वितीय अनुसूची में दिये गये प्रपत्र में नियुक्ति का प्रमाण–पत्र पायेगा, जिस पर ऐसे अधिकारी की मुहर और हस्ताक्षर होंगे जो नियत किया जाये और जिसके आधार पर उसे होम–गार्ड के अधिकारों तथा विशेषाधिकारों से निहित किया जायगा तथा उसे होम–गार्ड के कत्तव्यों का पालन करना होगा ।

(3) होम–गार्ड्स के अधिकारी और अन्य सदस्य ऐसी वर्दी पहनेंगे जो नियत की जाय ।

होम–गार्ड्स को बुलाना

8–इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए –

(क) [2][जिला मैजिस्ट्रेट या जिला कमान्डेन्ट आदेश] द्वारा जिले मे तैनात किसी इकाई से सम्बद्ध किसी होम–गार्ड को जिले के भीतर किसी क्षेत्र में काम के लिए बुला सकता है ;

(ख) होम–गार्डस का कमान्डेन्ट जनरल या ऐसा अन्य अधिकारी जो उसके द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत किया जाय, किसी होम–गार्ड को राज्य के किसी भाग मे अथवा राज्य के बाहर काम के लिए बुला सकता है ।

होम–गार्ड्स के अधिकार, विशेषाधिकार और संरक्षण

9–(1) इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, जब कोई होम–गार्ड धारा 8 के अन्तर्गत पुलिस के सहायक के रूप में काम करने के लिए या आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने में सहायता करने के लिए बुलाया जाय, तो उसे वहीं अधिकार, विशेषाधिकार और संरक्षण प्राप्त होंगे जो तत्समय प्रचलित किसी अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी पुलिस अधिकारी को प्राप्त हों और ऐसे अनुमेलनों तथा परिष्कारों के अधीन रहते हुए जो गजट में विज्ञप्ति द्वारा राज्य सरकार उसमें करे, उस पर पुलिस ऐक्ट, 1861 और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों या विनियमों के उपबन्ध उसी रीति से और उसी सीमा तक लागू होंगे मानों ऐसा होम–गार्ड पुलिस दल में तदनुरूप पद धारण किया था जो वह तत्समय होम–गार्ड्स में किये हुए है । **ऐक्ट सं0 5, 1861**

---

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 4, 1972 की धारा 3 द्वारा रखा गया ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 4, 1972 की धारा 4 द्वारा रखे गए ।

(2) No prosecution shall be instituted against a home guard in respect of anything done or purporting to be done by him in the discharge of his duty as a home guard, except with the previous sanction of the District Magistrate having jurisdiction over the area in which the home guard was enrolled or in which the act was committed.

Home Guards to be public servants but not civil servants

10. A home guard acting in the discharge of his functions under this Act shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code.

Act XLV of 1860

Explanation—A home guard shall not be deemed to be a holder of a civil post merely by reasons of his enrolment as home guard.

Liability for service

11. (1) Subject to any rules made in this behalf, a home guard shall be bound to serve in any unit of the Home Guards to which he is, for the time being, attached.

(2) The initial period during which a home guard may be required to serve shall be three years from the date of his enrolment. This period may be extended with his consent recorded in the prescribed manner.

(3) Every home guard shall be liable to serve, when called out in the prescribed manner, for duty in any part of the State. No home guard shall be required to render service outside the State unless he has given his consent in the prescribed manner for such service.

(4) The home guards called out for duty may be paid such allowances as may be prescribed.

(5) The home guards will ordinarily be called out to serve in the areas of their enrolment and only for part-time duty.

Discharge, suspension and resignation

12. (1) The Commandant-General or any other officer prescribed in this behalf shall have the authority to discharge or suspend any member of the Home Guards in accordance with the rules made in this behalf. A home guard may resign from the force after giving one month's notice delivered to such officer as may be prescribed.

(2) Subject to the provisions of the last preceding sub-section, every home guard shall be entitled to receive his discharge from the Home Guards on the expiration of the period specified in sub-section (2) of section 11.

(3) Every person who for any reason ceases to be a member of the Home Guards, shall forthwith deliver up to the Commandant-General or to such officer and at such place as may be prescribed or as the Commandant-General may direct, his certificate of appointment and the arms, accoutrements, clothing and other articles which may have been received by him as such manner.

Act V of 1898

(4) Any magistrate may issue a warrant to search for and seize wherever they may be found any certificate, arms, accoutrements,

(2) होम–गार्ड के रूप में अपने कर्त्तव्य का पालन करने में उसके द्वारा किये गये या किये जाने के लिए अभिप्रेत किसी कार्य के सम्बन्ध में किसी होम–गार्ड के विरूद्ध कोई अभियोजन तब तक न चलाया जायगा जब तक कि उस क्षेत्र पर, जहां होम–गार्ड भर्ती किया गया हो या जहां उक्त कार्य किया गया हो, क्षेत्राधिकार रखने वाले जिला मैजिस्ट्रेट की पूर्व स्वीकृति न ले ली जाये।

होमगार्ड्स लोकसेवक होंगे, किन्तु असैनिक सेवक नही होंगे
ऐक्ट सं० 45, 1860

10–इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का निर्वहन करने वाला होम–गार्ड इण्डियन पीनल कोड की धारा 21 के अर्थ मे लोक सेवक समझा जायगा।

स्पष्टीकरण–– होम–गार्ड के रूप में अपनी भर्ती होने के ही कारण होम–गार्ड असैनिक पद धारण करने वाला न समझा जायगा।

सेवा करने का दायित्व

11–(1) होम–गार्ड, एतदर्थ बनाये किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक होम–गार्ड्स की किसी ऐसा इकाई में सेवा करने के लिए बाध्य होगा जिससे वह तत्समय सम्बद्ध हो।

(2) आरम्भिक अवधि, जिसमें होम–गार्ड से सेवा करने की अपेक्षा की जा सकती हे, उसकी भर्ती के दिनांक से तीन वर्ष होगी। यह अवधि उसकी नियत रीति से लेखबद्ध सहमति से बढ़ायी जा सकती है।

(3) प्रत्येक होम–गार्ड, जब वह नियत रीति से काम के लिए बुलाया जाय, राज्य के किसी भाग में सेवा करने के लिए बाध्य होगा । किसी भी होमगार्ड से राज्य के बाहर सेवा करने की तब तक अपेक्षा न की जायेगी जब तक कि उसने ऐसी सेवा के लिए नियत रीति से अपनी सहमति न दे दी हो ।

(4) काम के लिए बुलाए गए होम–गार्डो को ऐसा दैनिक भत्ता दिया जायेगा जो नियत किया जाय।

(5) होम–गार्डो की साधारणतया उन क्षेत्रों में, जहां वे भर्ती किये गये हों, सेवा करने के लिए और केवल अंशकालिक काम के लिए बुलाया जायेगा।

सेवोन्मुक्ति, निलम्बन और त्याग–पत्र

12–(1) कमानडेन्ट जनरल या एतदर्थ नियत कोई अन्य अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार होम–गार्ड्स के किसी सदस्य को सेवोन्मुक्त या निलम्बित करने का अधिकार होगा। कोई होम–गार्ड ऐसे अधिकारी की, जो नियत किया जाय, एक मास का नोटिस देकर दल से त्याग–पत्र दे सकता है।

(2) अन्तिम पूर्वगत उपधारा के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रत्येक होम–गार्ड धारा 11 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर होम–गार्ड से अपनी सेवोन्मुक्ति पाने का हकदार होगा।

(3) प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी कारण से होम–गार्डस का सदस्य न रह जाय, कमान्डेन्ट जनरल को या ऐसे अधिकारी को ऐसे स्थान पर जो नियत किया जाये या जिन्हें कमान्डेन्ट जनरल निदेशित करें, अपनी नियुक्ति का प्रमाण–पत्र और शस्त्रास्त्र, साज–सज्जा , वस्त्र और अन्य वस्तुएं, जो उसे ऐसे सदस्य के रूप में दिये गये हों, तुरन्त लौटा देगा ।

ऐक्ट संख्या 5, 1898

(4) कोई मजिस्ट्रेट, इस प्रकार न लौटाये गये किसी प्रमाण–पत्र, शस्त्रास्त्र, साज–सज्जा, वस्त्र या अन्य वस्तुओं की, जहां–जहां भी वे पाये जायें, तलाशी लेने और

clothing or other articles not so delivered up. Every warrant so issued shall be executed in accordance with the provisions of the Code of Criminal Procedure, 1898, by a police officer, or, if the magistrate issuing the warrant so directs, by any other person.

(5) Nothing in this section shall be deemed to apply to any article with under any general or special order of the Commandant-General has become the property of the person to whom the same was furnished.

Penalties

13. (1) if a home guard —

(a) fails to report himself when called out for duty under section 8 ; or

(b) without sufficient excuse neglects or refuses to obey any lawful order or direction of his superior officer or other competent authority or fails to discharge his function as a member of Home Guards while on duty ; or

(c) deserts his post ; or

(d) is guilty of cowardice ; or

(e) offers any unwarranted personal violence to any person in his custody ;

he shall, on conviction by a magistrate of the first class, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three months or with fine which may extend to two hundred rupees, or with both.

(2) If any person willfully neglects or fails to comply with sub-section (3) of section 12, he shall, on conviction, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three months or with fine which may extend to two hundred rupees or with both.

(3) No prosecution shall be instituted under sub-section (1) or (2) without the previous sanction of the Commandant-General or such other officer as may be prescribed in this behalf.

(4) On a report of [1][the District Commandant] a police officer may arrest without a warrant any person accused of an offence punishable under sub-section (1) or (2).

(5) When a member of the Home Guards other an officer commits an offence punishable under sub-section (1), [2][the District Commandant] or such other officer as may be prescribed, under whom the member is for the time being serving may direct that the charge shall be dealt with without formal trial and thereupon the said Commandant or other officer may in the prescribed manner award to him any one or more of the following punishments, namely :

1. *Subs.* by sec. 5 (i) of U. P. Act no. 4 of 1972.

2. *Subs.* by sec. 5 (ii) *ibid.*

उन्हें अधिगृहीत करने के लिए वारन्ट जारी कर सकता है । इस प्रकार जारी किया गया प्रत्येक वारन्ट कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, 1898 के उपबन्धों के अनुसार पुलिस अधिकारी द्वारा, अथवा यदि वारन्ट जारी करने वाला मैजिस्ट्रेट इस प्रकार निदेश दे तो, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, निष्पादित किया जायगा ।

(5) इस धारा की कोई बात किसी ऐसी वस्तु पर लागू समझी जायगी जो कमान्डेन्ट जनरल के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन उस व्यक्ति की सम्पत्ति हो गयी हो जिसे वह दी गयी थी ।

13–(1) यदि कोई होम–गार्ड –– शास्तियां

(क) धारा 8 के अधीन काम पर बुलाये जाने पर उपस्थित न हो ; या

(ख) अपने वरिष्ठ प्राधिकारीया अन्य सक्षम अधिकारी के किसी वैध आदेश या निदेश का बिना पर्याप्त कारण के पालन करने में उपेक्षा करे या इन्कार करे या जब वह काम पर हो तो होम–गार्ड्स के सदस्य के रूप में अपने कृत्यों का निर्वहन न करे ; या

(ग) अपना पद अभित्यक्त कर दे ; या

(घ) कायरता का दोषी हो ; या

(ङ) अपनी अभिरक्षा में किसी व्यक्ति के साथ अनमुक्त शारीरिक बल प्रयोग करे ;

तो वह प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट द्वारा सिद्ध–दोष ठहराये जाने पर, किसी भी प्रकार के कारावास के दण्ड से दण्डित होगा जो तीन मास तक की अवधि का हो सकता है या अर्थ दण्ड से दण्डित होगा जो दो सौ रूपए तक का हो सकता है अथवा दोनों से दण्डित होगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति जान–बूझकर धारा 12 की उपधारा (3) का पालन करने में उपेक्षा करे या उसका पालन न करे, तो वह सिद्ध–दोष ठहराये जाने पर, किसी भी प्रकार के, कारावास के दण्ड से दण्डित होगा जो तीन मास तक का हो सकता है या अर्थ–दण्ड से दण्डित होगा जो दो सौ रूपये तक का हो सकता है अथवा दोनो से दण्डित होगा ।

(3) कमान्डेन्ट जनरल या ऐसे अन्य अधिकारी को, जो एतदर्थ नियत किया जाय, पूर्व स्वीकृति के बिना, उपधारा (1) या (2) के अधीन कोई अभियोजन न चलाया जायगा ।

(4) [1][जिला कमान्डेन्ट] के प्रतिवेदन पर, पुलिस अधिकारी किसी वारन्ट के बिना किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जो उपधारा (1) या (2) के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियुक्त हो ।

(5) जब अधिकारी से भिन्न होम गार्ड्स का सदस्य उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय अपराध करता है, तो [2][जिला कमान्डेन्ट] या ऐसा अन्य अधिकारी, जो नियत किया जाय, जिसके अधीन उक्त सदस्य तत्समय काम कर रहा हो, यह निदेश दे सकता है कि दोषारोपण पर औपचारिक सुनवाई के बिना कार्यवाही की जायगी और तदुपरान्त उक्त कमान्डेन्ट या अन्य अधिकारी उसे निम्नलिखित में से कोई एक या एक से अधिक दण्ड दे सकता है, अर्थात् ––

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 4, 1972 की धारा 5 (1) द्वारा रखे गये ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 उपर्युक्त की धारा 5 (2) द्वारा रखे गए ।

(a) confinement in such place as may be considered suitable for a period not exceeding two days ;

(b) punishment drill, extra work, fatigue or other duty not exceeding seven days in duration, with or without confinement to quarters ; and

(c) forfeiture of allowances.

Obligation of employer to permit Home Guards to join duty

14. (1) Except as may be prescribed, every employer shall permit a home guard who is for the time being employed by or under him to join his duty as such, and notwithstanding anything in any law or agreement between him and such home guard in force, the period of his duty shall, subject to such conditions and restrictions as may be prescribed, be deemed to be the period spent in such employment.

(2) No employer shall dismiss, remove or suspend any employee, or take any other action which may prejudice such employee, by reason of his being a member of the Home Guards.

(3) Whoever contravenes the provisions of sub-section (1) or (2) shall be punished with fine which may extend to two hundred and fifty rupees, and the court by which an employer is convicted under this section may further order him to pay to the employee a sum not exceeding three months remuneration at the rate at which his last remuneration was payable to him by the employer, and any amount so ordered to be paid by the court shall be recoverable as if it were a fine imposed by such court.

(4) Nothing in this section shall apply to an employer unless he had forwarded the application of the employee concerned for enrolment as Home Guard or been informed by the employee of his being a Home Guard at the time of applying for employment.

Power to make rules and regulations

15. (1) The State Government may make rules for carrying out the purposes of this Act and for giving effect to its provisions generally.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for or regulate all or any of the following matters, namely —

(a) the organization, qualifications, manner of enrolment, medical examination, functions, discipline, accoutrements, clothing and uniform of home guards and the manner in which they may be called out for service or required to undergo training ;

(b) exercise by home guards of the powers of a police officer and the correspondence of ranks between home guards and police personnel for purposes of sub-section (1) of section 9 ;

(c) the conditions subject to which any person may be, exempted from any obligation or liability under this Act or any particular provision thereof ;

(क) दो दिन से अनधिक अवधि के लिये ऐसे स्थान पर अवरोध जो उपयुक्त समझा जाय ;

(ख) सात दिन से अनधिक अवधि के लिये क्वार्टरों मे अवरोध सहित या अवरोध रहित दण्ड–स्वरूप कवायद (ड्रिल), अतिरिक्त कार्य, कठोर परिश्रम (फेटीग) या अन्य काम ; और

(ग) भत्तों की जब्ती ।

होमगार्ड को कार्य ग्रहण करने की अनुमति देने पर सेवायोजक का दायित्व

14–(1) उस स्थिति के अधीन रहते हुए जो नियत की जाय प्रत्येक सेवायोजक ऐसे होम–गार्ड को जो तत्समय उसके द्वारा या उसके अधीन सेवायोजित किया जा रहा हो, होम–गार्ड के रूप में अपना कार्य ग्रहण करने की अनुमति देगा और किसी प्रचलित विधि या ऐसे अनुबन्ध में जो उसके और ऐसे होम–गार्ड के बीच हो, किसी बात के होते हुये भी उसकी कार्य अवधि, ऐसी शर्तो और प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुयें, जो नियत किये जायें, ऐसे सेवायोजन में व्यतीत की गयी अवधि समझी जायगी ।

(2) कोई भी सेवायोजक किसी कर्मचारी को उसके होम–गार्ड्स का सदस्य होने के कारण न तो पदच्युत करेगा, न हटायेगा, न उसे निलम्बित करेगा और न कोई ऐसी अन्य कार्यवाही करेगा जो ऐसे कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव डाले ।

(3) जो कोई उपधारा (1) या (2) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा वह अर्थ दण्ड से दण्डित किया जायगा जो दो सौ पचास रूपयें तक का हो सकता है और जिस न्यायालय द्वारा सेवायोजक इस धारा के अधीन सिद्ध–दोष ठहराया जाय वह सेवायोजक को यह भी आदेश दे सकता है कि वह उक्त कर्मचारी को उस दर, जिस पर उसका अन्तिम पारिश्रमिक सेवा–योजक द्वारा उसे देय था या तीन मास से अनधिक के पारिश्रमिक का भुगतान करे और भुगतान किये जाने के लिये न्यायालय द्वारा इस प्रकार दिये गये आदेश की कोई धनराशि उसी प्रकार वसूल की जा सकेगी मानो वह ऐसे न्यायालय द्वारा आरोपित अर्थ–दण्ड हो ।

(4) इस धारा की कोई बात किसी सेवायोजक पर तब तक लागू न होगी जब तक कि उसने सम्बद्ध कर्मचारी का होम–गार्ड्स के सदस्य के रूप में भर्ती होने के लिए प्रार्थना–पत्र आगे न बढ़ाया हो, या कर्मचारी ने उसको सेवायोजन के लिए प्रार्थना–पत्र देते समय होम–गार्ड्स का सदस्य होने को सूचना न दे दी हो ।

नियम और विनियम बनाने का अधिकार

15–(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए और इसके उपबन्धों को सामान्यतया प्रभावी बनाने के लिए नियम बना सकती है।

(2) विशेषतः तथा पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों मे निम्नलिखित विषयों में से सभी या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है या उन्हें विनियमित किया जा सकता है, अर्थात् :–

(क) होम–गार्डो का संघटन, उनकी अर्हताएं, भर्ती की रीति, स्वास्थ परीक्षा, कृत्य, अनुशासन, शस्त्रास्त्र, साज–सज्जा, वस्त्र और वर्दी और रीति जिसके अनुसार वे सेवा के लिए बुलाए जायें या उनसे प्रशिक्षण लेने की अपेक्षा की जाय ;

(ख) धारा 9 की उपधारा (1) के प्रयोजनो के लिए होम–गार्डों द्वारा पुलिस अधिकारी के अधिकारो का प्रयोग करना और होम–गार्डो तथा पुलिस कर्मचारियों के बीच पदों की अनूरूपता ;

(ग) शर्तें जिनके अधीन कोई व्यक्ति अधिनियम या उसके किसी विशेष उपबन्धों के अधीन किसी आभार या दायित्व से मुक्त किया जा सकता है ;

(d) the delegation of the powers and functions conferred by this Act on the State Government to the Commandant General and other authorities ; and

(e) any other matter which under this Act is to be or may be prescribed.

(3) All rules made under this Act shall, as soon as may be after they are made, be laid before each House of the State Legislature while it is in session for a total period of not less than fourteen days extending in its one session or more than one successive session and shall, unless some later date is appointed, take effect from the date of their publication in the Gazette subject to such modifications or annulments as the Houses of the Legislature may agree to make, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

FIRST SCHEDULE

[Section 7 (2)]

Form of Declaration

I,............................son of ....
....resident of ....
...., do hereby solemnly declare and affirm that I will truly serve as a member of the Uttar Pradesh Home Guards, the duties and responsibilities whereof I have assumed with full understanding, for a period of three years from the date of enrolment (including the period spent over training), which period may be extended by the State Government with my consent. I further undertake to serve as a member of the Uttar Pradesh Home Guards at any time or at any place during such period if I am called for duty. I will to the best of my skill and knowledge discharge the duties of the Home Guards and will, even at the peril of my life, ever be ready to protect the Constitution of India and the honour of the National Flag.

....

Signature.

ADDRESS.............................

(घ) इस अधिनियम द्वारा राज्य सरकार को प्राप्त अधिकारों और कृत्यों का कमान्डेन्ट जनरल और अन्य प्राधिकारियों को प्रतिनिधान ; और

(ङ) कोई अन्य विषय जो इस अधिनियम के अधीन नियत किया जाना हो या जो नियत किया जाय।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में कम से कम कुल चौदह दिन को अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे और जब तक कि कोई वाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में उनके प्रकाशन के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे, जो विधान मण्डल के सदन करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशुन्यन सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा ।

प्रथम अनुसूची

[धारा – 7 (2)]

घोषणा का प्रपत्र

मै———————————————आत्मज——————————निवासी————————————एतद् सत्यनिष्ठा से घोषणा और प्रतिज्ञान करता हूं कि मै उत्तर प्रदेश होम–गार्ड्स के सदस्य के रूप में जिसके कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों को मैने पूरी जानकारी से ग्रहण किया है भर्ती किये जाने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए, जिसके अन्तर्गत प्रशिक्षण में व्यतीत की गयी अवधि भी है (यह अवधि मेरी सहमति से राज्य सरकार द्वारा बढ़ायी जा सकती है), वस्तुतः सेवा करूंगा और मैं वह भी वचन देता हूं कि मै बढ़ाई गयी अवधि में उत्तर प्रदेश होम–गार्डस के सदस्य के रूप में किसी भी समय या किसी भी स्थान पर सेवा करूंगा यदि मुझे ऐसी अवधि में काम पर बुलाया गया । मैं होमगार्ड के सदस्य के कर्त्तव्यों का पालन पूरी दक्षता और जानकारी से करूंगा और अपने जीवन का जोखिम होते हुये भी सदैव भारतीय संविधान तथा राष्ट्रध्वज के सम्मान की रक्षा के लिए उद्यत रहूँगा।

————————————————

हस्ताक्षर ।

पता ——————————————

——————————————

——————————————

SECOND SCHEDULE

[Section 7 (2)]

Form of Certificate of Appointment

Name................................., son of ....resident of ...., has been appointed a member of the Uttar Pradesh Home Guards under section 7(2) of the Uttar Pradesh Home Guards Act, 1963. When lawfully on duty on being called out serve as auxiliary to the police or to help in maintaining public order or internal security, he shall have the same powers, privileges and protection as an officer of corresponding rank of the police force appointed under any enactment for the time being in force and shall, subject to such adaptations and modifications as may be made therein by the State Government, be subject to the provisions of the Police Act, 1861 and the rules or regulations made thereunder.

Date of appointment ....

PLACE.............................

DATE.............................

....

Signature and seal of the

Prescribed Officer.

द्वितीय अनुसूची

[धारा – 7 (2)]

नियुक्ति के प्रमाण–पत्र का प्रपत्र

नाम——————————आत्मज————————निवासी——————————— को उत्तर प्रदेश होम–गार्ड्स अधिनियम, 1963 की धारा 7 (2) के अधीन उत्तर प्रदेश होम–गार्ड्स का सदस्य नियुक्त किया गया है। जब वह वैधतः काम पर हो तो पुलिस के सहायक के रूप में सेवा करने या आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने में सहायता करने के लिए बुलायें जाने पर, उसे वही अधिकार, विशेषाधिकार और संरक्षण प्राप्त होंगे जो तत्समय प्रचलित किसी अधिनियम के अधीन नियुक्त पुलिस के तदनुरूप पद के किसी अधिकारी को प्राप्त हो और ऐसे अनुकूलनों तथा परिष्कारों के अधीन रहते हुए जो राज्य सरकार उसमें करे उस पर पुलिस ऐक्ट, 1861 और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों और विनियमों के उपबन्ध लागू होंगे ।

नियुक्ति का दिनांक ————————

स्थान——————————

दिनांक—————————

नियत अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर ।